संख्या:01/2023/I/259730/2023/46-1002-099-1-2022

प्रेषक,

शेषनाथ ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 10 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के अन्तर्गत आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:229/लेखा-बजट, दिनांक 20-12-2022, जिसके द्वारा निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के पत्र संख्या:5005/निर्माण/2022-23 दिनांक 07-12-2022 के साथ आवश्यक निमार्ण एवं विशेष मरम्मत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर धनराशि रू.80.373 लाख (रूपये अस्सी लाख सैतीस हजार तीन सौ मात्र) की कार्ययोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत 'आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत' मद में उ.प्र. गन्ना शोध परिषद एवं सम्बद्ध शोध केन्द्र/संस्थान हेतु संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था **(संलग्नक के कालम-5 के अनुसार)** से कराने हेतु, उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन/आगणन **(संलग्नक के कालम-4 के अनुसार)** के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून,2022 के प्राविधानों के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

(1) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को कराने हेतु, कार्य के सम्मुख निर्दिष्ट कार्यदायी संस्था होगी तथा उन्हें वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2011-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

17(4)/75,11-11-2014 की व्यवस्थानुसार सेंटेज चार्जेज (यथा निर्दिष्ट दर से) की धनराशि अनुमन्य होगी।

(2) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को मानक के अनुसार पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, समस्त कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व अर्थात दिनांक 31.03.2023 के पूर्व, पूर्ण कराते हुए स्थलीय निरीक्षण आख्या सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संलग्नक में उल्लिखित समस्त कार्यों को, निविदा एवं निर्माण सम्बन्धी सुसंगत नियमों/शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण कराये जाने/नियमित अनुश्रवण किये जाने का दायित्व, निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर का होगा

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

शेषनाथ

विशेष सचिव।

संख्या:01/2023/I/259730/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
3. मुख्य अभियंता, अभियंत्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
5. गार्ड फाइल ।

संलग्नक:यथोपरि।

आज्ञा से,

शेषनाथ

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या:01/2023/I/259730/2023/46-1002-099-1-2022 का संलग्नक

(धनराशि रू. लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रावधानित धनराशि	कार्य की कुल लागत प्राक्कलन के आधार पर (लाख रू. में)	निर्माण एजेंसी का नाम
1	2	3	4	5
(क)	**गन्ना शोध एवं बीज सम्बर्द्धन केन्द्र, गोला-खीरी**			
1.	प्रक्षेत्र कार्यालय की विशेष मरम्मत	30.00	13.18	गन्ना विकास विभाग
2.	गैराज एवं गोदाम की विशेष मरम्मत		10.07	गन्ना विकास विभाग
3.	खडंजा उपलब्ध ईटों से	2.00	1.99	गन्ना विकास विभाग
4.	उपकरण शेड	20.00	18.331	गन्ना विकास विभाग
	योग	**52.00**	**43.571**	
(ख)	**गन्ना बीज सम्बर्द्वन एवं परीक्षण केन्द्र, लक्ष्मीपुर-कुशीनगर**			
1	प्रक्षेत्र कार्यालय का निर्माण	15.00	14.97	गन्ना विकास विभाग
2	टाइप-2 आवासों की विशेष मरम्मत	6.00	7. 98	गन्ना विकास विभाग
3	खडंजा	5.00	2.385	गन्ना विकास विभाग
	योग	**26.00**	**25.335**	
(ग)	**गन्ना बीज सम्बर्द्धन एवं परीक्षण केन्द्र, अमहट-सुलतानपुर**			
1.	प्रभारी अधिकारी आवास की मरम्मत	3.00	2.901	गन्ना विकास विभाग
2.	फैन्सिंग 1000मीटर	6.00	6.174	गन्ना विकास विभाग
3.	गोदाम की विशेष मरम्मत	2.50	2.392	गन्ना विकास विभाग
	योग	**11.50**	**11.467**	
	महायोग(क से ग)	**89.50**	**80.373**	

योग: रू.80,37,300/- (रूपये अस्सी लाख सैतीस हजार तीन सौ मात्र)

शेषनाथ

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है